लोक सभा में 29 फरवरी, 2008
को पुरःस्थापित रूप में

2008 का विधेयक संख्यांक 17

[दि फाइनेंस बिल, 2008 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2008

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2008 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 62 तक 1 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

http://indiabudget.nic.in